

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या- /2018/ 1526 /चि0-3-2018-टी0-1(37)/2018

लखनऊ : दिनांक : 03 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धिपत्र

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0-51/2018/1526/चि0-3-2018-टी0-1(37)/2018, दिनांक 17.07.2018 द्वारा डा0 अंजना संखवार, चिकित्साधिकारी (वरि0 क्र0-14445क, ले0-2) को जिला चिकित्सालय, कानपुर नगर से स्थानान्तरित करते हुये मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर के अधीन तैनात किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.07.2018 की तालिका के क्रमांक-7 पर कालम-3 में डा0 संखवार के नाम के सम्मुख अंकित वर्तमान तैनाती स्थल 'लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर नगर' के स्थान पर 'जिला चिकित्सालय, कानपुर नगर' टंकण त्रुटिवश अंकित हो गया है।

3- अतएव उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.07.2018 की तालिका के क्रमांक-7 पर कालम-3 में डा0 संखवार के नाम के सम्मुख अंकित वर्तमान तैनाती स्थल 'जिला चिकित्सालय, कानपुर नगर' के स्थान पर 'लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर नगर' पढा/समझा जाय।

4- तदनुसार कार्यालय ज्ञाप सं0-51/2018/1526/चि0-3-2018-टी0-1(37)/2018, दिनांक 17.07.2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(नर्वद सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या- 1526 (1)/चि0-3-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर नगर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर नगर)।
8. प्रभारी, मानव सम्पदा को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी0-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।